Title: Regarding functioning of fast track courts.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, देश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक एक आकलन के अनुसार लगभग ढाई करोड़ वाद हमारे देश में लंबित हैं। इनके शीघ्र निस्तारण के लिए 2002 में एक योजना बनाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि वादों के सुनिश्चित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं। 11वें वित्त आयोग में 502 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया और यह सुनिश्चित किया गया कि 1734 फास्ट ट्रैक अदालतें हमारे देश में स्थापित की जाएंगी जिनमें से 1699 अदालतें अभी तक स्थापित हुई हैं। इन अदालतों को 31 मार्च, 2004 तक 12,58,000 वादों का निस्तारण करना था और उसमें से छः लाख से ऊपर वादों का निस्तारण हुआ। जो धनराशि 11वें वित्त आयोग ने स्वीकार की थी, वह 31 मार्च, 2005 तक समाप्त हो गई।

---

*Not Recorded.

12वें वित्त आयोग ने इस योजना को जारी रखने के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की है । सबसे दुखद बात यह है कि उस पर कानून मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आग्रह नहीं किया कि इस योजना को जारी रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है । बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका ऑल मीडिया जरनलिस्ट ऐसोशियेशन के द्वारा दायर की और इसको स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन अदालतों को 30 अप्रैल 2005 तक चलने दिया जाए तथा सरकार इनके भावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करे । इसी बीच विधि एवं न्याय मंत्रालय की जो स्थायी समिति है, उस स्थायी समिति ने भी सरकार की आलोचना की और यह कहा कि यह लाभप्रद योजना है, इसे जारी रखा जाना चाहिए । सरकार जब तक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करती तब तक राज्य सरकारों को इनका खर्चा वहन करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 28 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं और मैं समझता हूं कि इन अदालतों के बनने के बाद देश में जो लंबित वाद थे, उनके निस्तार में काफी हद तक मदद हुई है । इस सरकार ने अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की है और 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अदालतों को जारी नहीं रखा जा सकता है । मैं आपकी मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों के काफी अच्छे परिणाम आए हैं । इन अदालतों को जारी रखा जाए जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके और इस देश में करोड़ों की संख्या में जो वाद लंबित हैं, उनका निस्तारण हो सके ।